# 1909 का कौंसिल अधिनियम
## (मिण्टो - मार्ले सुधार)

पृष्ठभूमि -

1899 से लेकर 1905 तक भारत में लॉर्ड कर्जन वायसराय के पद पर आसीन रहे। उन्होंने अपने शासन-काल में कई ऐसे कार्य किए जिनसे जनता में असन्तोष और रोष की भावना चरम सीमा तक पहुँच गई।

इन वर्षों में कांग्रेस में दो मुख्य पक्ष बनते जा रहे थे। वामपंथी पक्ष (Left wing) के नेता, पूना के लोकमान्य तिलक और बंगाल के अरविन्द घोष व विपिन चन्द्रपाल थे, वे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय से सन्तुष्ट नहीं थे। दक्षिणपंथी पक्ष (Right wing) के नेता बम्बई के सर फिरोजशाह मेहता, पूना के गोपालकृष्ण गोखले और बंगाल के सुरेन्द्रनाथ बनर्जी नरम नीति के समर्थक थे।

इसी बीच में लॉर्ड मिण्टो ने समय के संकेतों और देश की आवश्यकताओं को एक राजनीतिज्ञ की भाँति समझा और केन्द्रीय विधान-परिषद की एक समिति इस उद्देश्य से नियुक्त की कि वह जाँच करके यह रिपोर्ट दे कि प्रचलित शासन-प्रणाली में क्या परिवर्तन किए जाएं, जिससे कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के उपयुक्त हो जाए।

# भारतीय कौंसिल अधिनियम, 1909

इस अधिनियम के द्वारा कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए —

(1) केन्द्रीय तथा प्रांतीय सभी विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई। अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा विभिन्न परिषदों की सदस्य संख्या में निम्नलिखित परिवर्तन हुए —

| विधान-परिषद् | 1909 के पूर्व सदस्य-संख्या | 1909 के अधिनियम के अन्तर्गत संख्या |
|---|---|---|
| केन्द्रीय विधान परिषद | 25 | 68 |
| मद्रास और बंबई | 24 प्रत्येक में | 46 प्रत्येक में |
| उ० प्र० प्रांत | 16 | 47 |
| बंगाल | 21 | 52 |
| पंजाब | 10 | 24 |

2. प्रत्येक विधान परिषद में तीन प्रकार के सदस्य रहे — सरकारी, निर्वाचित और गैर-सरकारी नामजद। केन्द्रीय विधान-परिषद में अब भी सरकारी सदस्यों का बहुमत रहा। 68 सदस्यों के सदन में उनकी संख्या 36 थी। प्रान्तीय

विधान-परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का (नामजद गैर-सरकारी सदस्यों को मिलाकर) बहुमत था, किंतु निर्वाचित सदस्यों का बहुमत न था; केवल बंगाल की विधान परिषद् में निर्वाचित सदस्यों में 28 निर्वाचित थे।

(3) सपरिषद् गवर्नर-जनरल को भारत-मंत्री की स्वीकृति से उन नियमों के बनाने की शक्ति दी गई थी जिनके अनुसार भारतीयों की नामजदगी अथवा उनका निर्वाचन किया गया।

(4) चुने हुए सदस्यों के विषय में अनेक नियम बनाए गए थे। निर्वाचन क्षेत्र तीन प्रकार के थे — (i) साधारण निर्वाचन क्षेत्र जिनमें केन्द्रीय विधान-परिषद् के लिए प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्य थे तथा प्रांतीय विधान परिषदों के लिए म्युनिसिपल तथा जिला-बोर्ड के सदस्य सम्मिलित थे (ii) वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र — इसमें मुसलमानों तथा जमींदार वर्ग के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र थे (iii) विशेष निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें प्रेसीडेन्सी नगरों के निगम, विश्वविद्यालय तथा चेम्बर ऑफ कामर्स सम्मिलित थे

(5) नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों और

मतदाताओं दोनों के लिए ही कुछ अर्हताएँ (qualification) निर्धारित की गई थीं। मतदाताओं के लिए जमींदार वर्ग तथा मुसलमानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में अलग-अलग शर्तें थीं तथा जमींदार निर्वाचन क्षेत्र में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए शर्तें भिन्न थीं, जो हिन्दुओं के लिए अधिक ऊँची और मुसलमानों के लिए नीची थीं।

(6) इस अधिनियम ने विभिन्न सरकारों को अपनी-अपनी परिषद के कार्यों में वृद्धि करने के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया।

(7) सपरिषद गवर्नर-जनरल को भारत मंत्री की स्वीकृति से बंगाल तथा अन्य किसी लेफ्टिनेंट-गवर्नर वाले प्रान्त में परिषद की रचना करने की शक्ति दी गई थी। इन परिषदों का प्रत्येक सदस्य भी प्रान्त की विधान-परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया।

## सुधार योजना के दोष –

इस अधिनियम के अनेक दोष थे जिनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है : (1) मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली जारी की गई। यह स्पष्ट है कि इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की चालपूर्ण नीति (विभाजन करो और शासन करो) के कारण किया गया, यद्यपि अनेक शिक्षित तथा दूरदर्शी मुसलमान ऐसा नहीं

चाहते थे। इस दोष की गम्भीरता इस बात से और भी अधिक बढ़ गई थी कि कानून के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा मुसलमानों को बहु-मताधिकार मिला और निर्वाचित स्थानों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात में कहीं अधिक अधिक स्थान मिले। उदाहरण के लिए, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में मुसलमानों को 26 में से 8 स्थान प्राप्त हुए जबकि उनकी जनसंख्या कुल की 1/6 थी साथ ही केवल मुसलमानों को ही प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार मिला।

(2) विधान - परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत नहीं था। कांग्रेस ने अपनी योजना में 1886 में ही विधान-परिषदों में कम से कम आधे निर्वाचित सदस्यों तथा अधिक से अधिक 1/4 सरकारी सदस्यों की माँग की थी। गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत जिसमें नामजद सदस्य भी सम्मिलित थे कांग्रेस की माँग का सन्तोषप्रद उत्तर नहीं था इस पर भी केन्द्रीय विधान- परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, जिसके प्रति भारतीयों ने रोष प्रकट किया।

(3) यद्यपि सुधार योजना में निर्वाचन पद्धति का जारी करना एक प्रगतिशील कदम था, किंतु इस योजना के अन्तर्गत मताधिकार बहुत ही कम व्यक्तियों को मिला। कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में तो मतदाताओं की संख्या एक दर्जन से

भी कम थी और स्त्रियों को मताधिकार ही नहीं दिया गया था।

4) यद्यपि सुधार योजना के अन्तर्गत संसदीय संस्थाएं बनायी गई फिर भी उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त को आंशिक रूप में भी विकास नहीं होने दिया गया। इसका परिणाम यह निकला कि संसदीय प्रथाएँ प्रचलित हुई, किंतु संसदीय शासन की आत्मा का अभाव रहा।

मोर्ले ने स्वयं यह घोषित किया कि नयी परिषदों का अर्थ लेशमात्र भी संसदीय पद्धति जारी करना नहीं था। भारतीय विधान परिषद और वाइस राय की कार्यकारिणी परिषद में भी कुछ छँटे हुए भारतीयों को सदस्य बनाया गया, परंतु यह बात छिपी न थी कि वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथों में रही। आलोचकों ने कहा है कि 1909 के सुधारों ने जनता को सार नहीं परछाई दी है; उन्हें शक्ति (Power) नहीं केवल प्रभाव (influence) दिया। और इसी कारण मजूमदार ने इन सुधारों को कोरी चाँदनी (mere moonshine) बताया। 1909 की सुधार योजना का बड़ा दोष यह रहा कि वह उपयुक्त समय के बाद आयी। यदि के ही सुधार 1909 के स्थान पर 1905 में किए जाते तो उन्हें ब्रिटिश सरकार की विश्वासपूर्ण देन के बजाय भयपूर्ण देन समझा जाता।